रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 | REGISTERED No. D.(D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY ... INDIA.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड I

PART III—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 21, 1978/आश्विन 29, 1900

No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 21, 1978/ASVINA 29, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कानपुर, 9 अक्तूबर, 1978

निर्देश नं. अर्जन/1736-ए/गा. बाद/77-78.—अतः मुझे बी. सी. चतुर्वेदी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है और जिसकी स.———है तथा जो———में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों— के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री/श्रीमती/कुमारी केशव सरन व रेवती सरन (अन्तरक) पुत्रगण स्व. पं. हरबंश लाल निवासी चड्ढकमल, हापुड़ जिला गाजियाबाद

2. श्री/श्रीमती/कुमारी मोहन लाल पुत्र कलुआ उर्फ कल्लू निवासी महेशपुरी (कृष्णापुरा) बुलन्दशहर रोड जिला गाजियाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची :—

कृषि सम्पत्ति 7 बीघा 5 बिस्वांसी (कुल 14 बीघा 10 बिस्वांसी) स्थित चमरी तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद 2 विक्रय पत्रों 90,000/- प्रत्येक के द्वारा बाँची गयी ।

मोहर

Office of the Inspecting Assistant Commissioner

of Income-tax

Kanpur, the 9th October, 1978

Ref. No. Acq/1736-A/G. Bad/77-78.—Whereas I, B. C. Chaturvedi being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act,), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing number as per Schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hapur on January, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (I) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely :—

1. S/Shri Keshav Saran and Rewati Saran sons of late Pt. Harbans Lal R/o Bahakmal, Hapur, District Ghaziabad ... (Transferor)

2. S/Shri Mohan Lal S/o Kuluwa Alias Kallu R/o Maheshpuri (Kishanpura) Bulandshahar Road, District Ghaziabad.. (Transferee)

3. S/Shri .. (Persons in occupation of the property)

4. S/Shri .. (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 7 Bighas 5 Biswansi (Total 14 Bigha 10 Biswansi) situated at Village Chamri Tehsil Hapur, District Ghaziabad, transferred for an apparent consideration of Rs. 90,000 through two sale deeds of Rs. 90.000 each.

निदेश सं. अर्जन/1637-ए/गा. बाद/77-78.—अतः मुझे बी. सी. चतुर्वेदी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269 ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है और जिसकी सं.————है तथा जो————में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हापुड़ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जनवरी 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से युक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री/श्रीमती/कुमारी केशव सरन व रेवती सरन पुत्रगण स्व. पं. हरबंश लाल निवासी हापुड़, मो. चहकमल, जिला गाजियाबाद (अन्तरक)

2. श्री/श्रीमती/कुमारी छालू व राम लाल पुत्रगण छोटे लाल छोटे लाल उर्फ छुट्टन पुत्र नाथू निवासी पीर बहाउद्दीन हापुड़, बेघराज पुत्र चिरंजीलाल निवासी पीर बहाउद्दीन, हापुड़, जिला गाजियाबाद (अन्तरिती)

3. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके .....अधिभोग में सम्पत्ति है) .....

4. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... (वह व्यक्ति, जिसके बारे में .....अधोहस्ताक्षरी जानता है कि .....वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि सम्पत्ति 7 बीघा 5 बिस्वांसी (कुल क्षेत्रफल 14 बीघा 10 बिस्वांसी) स्थित ग्राम चमरी, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद को विक्रय पत्रों 90,000 रु. प्रत्येक के द्वारा बेची गयी।

बी. सी. चतुर्वेदी, सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण),
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख : 9-10-1978

मोहर :

Ref. No. Acq./1637-A/G. Bad/77-78.—Whereas I, B. C. Chaturvedi being the Competent Authority under section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act,), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing number AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at HAPUR on January, 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objec of :—

(a) Facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore, in pursuance of section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid poperty by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269-D of the said Act to the following persons, namely :—

1. S/Shri Keshav Saran and Rewati Saran, Sons of Late Pt. Harbans Lal, R/o Hapur, Moh. Chahakmal, District Ghaziabad. (Transferor)

2. S/Shri Dalu and Ram Lal Sons of Chotey Lal, Chotey Lal alias Chuttan S/o Nathu, R/o Peer Bahawuddin, Hapur, Beghraj S/o Chiranjilal, R/o Peerbahauddin, Hapur, District Ghaziabad. (Transferee)

3. S/Shri .. (Persons in occupation of the property)

4. S/Shri .. (Persons whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later ;

(b) by any other person interested in the said immovable propery, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

SCHEDULE

Agricultural land measuring 7 Bigha 5 Biswansi (Total area 14 Bighas 10 Biswansi) situated at Village Chamri, Teh. Hapur District Ghaziabad, transferred for an apparent consideration of Rs. 90,000 through two sale deeds of Rs. 90,000 each.

Date : 9-10-1978.

Seal :

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range,
Kanpur.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978